

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय लखनऊ

विज्ञापन संख्या-1/2020

दिनांक-07/12/2020

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय में रिक्त पदों, जिनका विवरण प्रस्तर-6 में दिया गया है पर भर्ती हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों से सम्बन्धित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं तथा वरीयान अर्हताओं का विवरण प्रस्तर-11 में दिया गया है।

- 1- ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि-08/12/2020
- 2- परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि-07/01/2021
- 3- ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की अंतिम तिथि-07/01/2021
- 4- ऑनलाइन आवेदन-पत्र स्वीकार (submit) किये जाने की अंतिम तिथि-07/01/2021

महत्वपूर्ण सूचना-

1. इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है तथा प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है।
2. इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह भी आवेदन करने का पात्र है किन्तु प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र/अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है।
3. प्रारम्भिक परीक्षा से सम्बन्धित आवेदन-पत्र के साथ किसी प्रकार के शैक्षिक अभिलेखों की प्रतियां संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं है।
4. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा तथा पृथक से परीक्षा शुल्क भी देना होगा।
5. फोटो एवं हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है।

विशेष सूचना -

1. बैंक में शुल्क जमा अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की स्थिति में ही उनका आवेदन-पत्र स्वीकार किया जायेगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
3. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा किया जाना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत किया जाना अभ्यर्थी का दायित्व है।
4. ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर तथा मान्य ई-मेल आई.डी. अंकित करना होगा, उसके बिना उनका रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं होगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा अंकित मोबाइल नम्बर पर सभी सूचनायें/निर्देश एस.एम.एस. द्वारा प्रेषित किये जायेंगे तथा यथावश्यकता ई-मेल, अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. पर प्रेषित किये जायेंगे।
6. भर्ती से सम्बन्धित निर्देश एवं आवेदन-पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.uplegisassembly.gov.in एवं www.uplegisassemblyrecruitment.in पर दिनांक-08/12/2020 से उपलब्ध होंगे।

7. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे, अन्य किसी प्रकार/माध्यम से प्रेषित आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
8. वेबसाइट पर क्लिक करने पर विज्ञापन सम्बन्धी सूचना, रजिस्ट्रेशन प्रपत्र एवं आवेदन-पत्र स्वतः प्रदर्शित हो जायेंगे, जिसके निम्नलिखित तीन भाग हैं:-


- 1- विज्ञापन (advertisement)
- 2- अभ्यर्थियों हेतु निर्देश (user instructions)
- 3- आवेदन-पत्र भरा जाना (apply)

2. अभ्यर्थियों हेतु निर्देश (user instructions) में ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। View advertisement क्लिक पर विज्ञापन प्रदर्शित होगा, तदोपरान्त apply पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का कार्य तीन स्तरों पर सम्पन्न होगा:-

प्रथम स्तर (Step-1):-

सर्वप्रथम वेबसाइट www.uplegisassembly.gov.in एवं www.uplegisassemblyrecruitment.in ओपेन करेंगे। तदुपरान्त Step-1 पर Apply Online Registration पंजीकरण के बटन को Click करेंगे। परीक्षा के सापेक्ष पंजीकरण अथवा Registration Form प्रदर्शित होगा। रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के पश्चात submit button पर क्लिक करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयीं सूचनाओं को भली-भांति जांच लें, जिससे प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। अभ्यर्थी उक्त रजिस्ट्रेशन की प्रति भी प्राप्त कर लें।

इसके उपरान्त अभ्यर्थी के मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी पर यूजर आई डी एवं उसका पासवर्ड अभ्यर्थी को प्राप्त होगा। जिसको अभ्यर्थी सुरक्षित रूप से रखें।


Uttar Pradesh
Legislative Assembly

APPLICANTS, WHO PAID EXAM FEE BUT DID NOT SUBMITTED FINAL APPLICATION FORM, HAS LAST CHANCE TO SUBMIT IT BEFORE 7th OF JANUARY 2021.

उत्तरप्रदेश विधानसभा सचिवालय में समूह 'ब' एवं समूह 'क' के अंतर्गत रिक्त पदों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
 (Online applications are invited for the recruitment of vacant posts under Group B and Group C in Uttar Pradesh Legislative Assembly Secretariat.)

1. विज्ञापन (View Advertisement)

5. आवेदन का स्थिति (Application Status)

2. दिशा निर्देश (User Instruction)

6. ऑनलाइन आवेदन (Use Print Application)

3. STEP 1 ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण (Apply Online For Registration)

7. पंजीकरण नंबर जानें (Know Your Registration Number?)

4. STEP 2 परीक्षा शुल्क भुगतान (Exam Fee Payment)

8. संपर्क करें (Contact Us)

Step 3 - Final Submission After Registration & Payment. Use Registration Number as user id & Password received on email & mobile

Latest Updates & News

Enter User id

Enter Password

Forgot Password?

Submit

विद्यमान समाचार 2020

Active Windows

Pre-Registration Form

Home

* Information for the candidates to be filled by the candidates.

1. आবেदन पद (Post Applied For) *

2. नाम (Name) *

3. वर्ग (Main Category - Cast) *

4. क्या आपके पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईकमयूस) का प्रमाण पत्र है? (Do you possess Economically Weaker Section (EWS) certificate?) *

5. आयु में छूट का दावा (Claim in Age Relaxation) *

6. अधिवसन (Disability) *

7. जन्म तिथि (Date of Birth) (DD-MM-YYYY) *

8. मोबाइल नंबर (Mobile No.) *

9. ईमेल आईडी (Email ID) *

1C0B63

Enter the above code here

Can't read the image? [Click here to refresh](#)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Declaration

मैं अपने विवरण सत्य हैं / करती हूँ की -

All fields are compulsory and must be filled correctly. Do not use special characters like @, #, %, &, etc. in the fields.

Need Help

20100104

Home

Your Application No. :20100104(UN - PAID)

Post Applied For :संपादक

Name

User ID

20100104

Date of Birth

22-09-1988

Category

General

EWS

No

Claim in Age Relaxation

None

Domicile

Uttar Pradesh

Handicapped

No

Mobile Number

Email ID

© Copyright 2020. All Rights Reserved.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



Handwritten signature

द्वितीय स्तर-

परीक्षा शुल्क भुगतान से पूर्व आपको दिये गये User id (यूजर आई डी) से लॉग-इन(login) करने के उपरान्त डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को पेमेंट करने का लिंक दिया होगा। उस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन, नेटबैंकिंग/यूपीआई/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/रूपे कार्ड, द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है।

The screenshot shows the Uttar Pradesh Legislative Assembly portal. At the top left is the logo and name "Uttar Pradesh Legislative Assembly". Below it, the text "(Application Form) 20100104" is displayed. On the right side, there is a "Logout" button. The main content area features a link for "Examination Fee - 950/- (Un Paid) - Click here to Pay Now". Below this, there are sections for "All Candidates Application Form" and "Where Candidates Fees". At the bottom center, it says "© Copyright 2020. All Rights Reserved". In the bottom right corner, there is a watermark for "Activate Windows" with the text "Go to Settings to activate Windows."

The screenshot shows the HDFC Bank payment gateway. At the top left is the "HDFC BANK" logo, and at the top right is the "SmartHub" logo. The main heading is "Pay through with HDFC Bank". On the left, under "Billing Information", there is a list of details: Amount: Rs. 950.00, Order No: 939df89f8f83ccb..., Merchant: HDFC Test 522, and Website: www.hdfcbank.com. On the right, there is a "PAY WITH" dropdown menu and a "Total Amount" of Rs. 950.00. At the bottom right, there is a watermark for "Activate Windows" with the text "Go to Settings to activate Windows."



अभ्यर्थी द्वारा किये गये परीक्षा शुल्क भुगतान रसीद की प्रति एवं बैंक ट्रांजेक्शन आई डी अपने पास सुरक्षित रखें।

तृतीय स्तर-

द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात **Candidate Application Form** पर क्लिक करने पर आवेदन प्रपत्र प्रदर्शित होगा। उक्त प्रपत्र में ऑनलाइन सूचनायें भरनी होगी तथा फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने होंगे। यदि फोटो एवं हस्ताक्षर निर्धारित आकार में नहीं होंगे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। यह भी ध्यान रखा जाये कि अभ्यर्थी की फोटो नवीनतम आवक्ष होनी चाहिये। फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया **परिशिष्ट-1** में दी गयी है। आवेदन प्रपत्र पर समस्त प्रविष्टियां अंकित करने के पश्चात अभ्यर्थी **Save button** पर क्लिक करे इसके उपरान्त अभ्यर्थी को **Preview Page** प्रदर्शित होगा जिससे अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं की पुष्टि कर लें तथा पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु **Final Submit Button** को क्लिक करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा **final submit button** को क्लिक नहीं किया जायेगा तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र का प्रिन्ट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें। किसी प्रकार की कठिनाई एवं विसंगति होने की स्थिति में उक्त प्रिन्ट की मांग की जा सकती है अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. आवेदन शुल्क-

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान किया जायेगा। ऑन-लाईन पेमेंट (Online Payment) के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा। विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नवत् परीक्षा शुल्क देना होगा।

क्र. स.	श्रेणी	परीक्षा शुल्क (रूपये में) (ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क सहित) (प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु पृथक-पृथक रूप से)
1	सामान्य/अनारक्षित	950.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	950.00
3	अनुसूचित जाति	850.00
4	अनुसूचित जनजाति	850.00
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	950.00
6	दिव्यांगजन	कोई परीक्षा शुल्क नहीं। केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रूपये 50.00 देय होगा।
7	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	क्रमांक 1-5 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
8	महिला	-तदैव-
9	भूतपूर्व सैनिक	-तदैव-

4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा किसी अन्य आयोग द्वारा प्रतिवारित (debar) किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण की अवधि समाप्त नहीं हुई है, के आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि उक्त तथ्य छिपाकर आवेदन कर दिया जाता है तो भविष्य में

किसी भी स्तर पर उक्त तथ्य के प्रकाश में आने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

5. प्रस्तुत (submit) किये गये आवेदन में संशोधन—

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है और अभ्यर्थी पूर्व प्रस्तुत में कोई संशोधन करना चाहता है तो वह आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, द्वितीय आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है किन्तु पूर्व आवेदन के समय भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में न तो वापस किया जायेगा और न ही द्वितीय आवेदन में उसका समायोजन होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में अंतिम आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा तथा पूर्व में प्रस्तुत सभी आवेदन निरस्त माने जायेंगे/कर दिये जायेंगे।

अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण निर्देश:-

- (1) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों का उल्लेख किये जाने, जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, पर अथवा किसी अन्य कदाचार पर विधान सभा द्वारा प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से पांच वर्ष तक के लिये प्रतिवारित (debar) किया जा सकता है।
- (2) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ही श्रेणी, उप श्रेणी, निवास प्रमाण-पत्र, लिंग, जन्मतिथि, नाम एवं पता से सम्बन्धित जो दावा किया जायेगा वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के उपरान्त इस सम्बन्ध में परिवर्तन सम्बन्धी कोई प्रार्थना अनुमन्य नहीं होगी।
- (3) गलत एवं भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में त्रुटिसुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (4) अपूर्ण आवेदन-पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस इस सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (5) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त जन्मतिथि हेतु कोई अन्य अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- (6) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जो सक्षम चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर, विधान सभा सचिवालय द्वारा चिन्हित किये गये पदों पर, दिव्यांग की उप श्रेणी के अंतर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।
- (7) ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।
- (8) परीक्षा की तिथि, समय एवं केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी।
- (9) अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी।

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विधान सभा, उ०प्र०।

- (10) जो अभ्यर्थी कालान्तर में भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में विधान सभा सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा।
- (11) आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, आवेदन-पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने, त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि अंकित करने, अधिवस्यक या अल्पवस्यक होने, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने, निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र प्राप्त होने तथा आवेदन-पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन-पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (12) आवेदन-पत्र की सरसरी जांच करने उपरान्त यदि विधान सभा सचिवालय चाहे तो अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दे सकता है किन्तु किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन-पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि वह चयन हेतु संस्तुत कर दिया गया है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (13) कदाचार अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता करने, दुर्व्यवहार करने, तथा अन्य अवाञ्छनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (14) इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विधान सभा सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा।
- (15) इस परीक्षा के सम्बन्ध में विधान सभा सचिवालय से किये जाने वाले पत्र व्यवहार में परीक्षा क नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, जन्म तिथि, पिता/पति का नाम एवं अनुक्रमांक (यदि आवंटित कर दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिये।
- (16) नियुक्ति हेतु चयनित किये जाने वाले अभ्यर्थियों को यथा-नियम स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा तथा उनका चरित्र सत्यापन भी कराया जायेगा।

अन्य अनुदेश:-

- (1) प्रारम्भिक परीक्षा में रिक्तियों की संख्या के 15 गुने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किये जायेंगे।
- (2) ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन में उल्लिखित पदों हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता से सम्बन्धित अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि तक सम्बन्धित अर्हता में उत्तीर्ण होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है। प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि के उपरान्त प्राप्त की जाने वाली अर्हता की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- (3) अभ्यर्थी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक को भरने में **केवल काले बाल प्वाइन्ट पेन** का प्रयोग करें। पेन्सिल अथवा किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।
- (4) अभ्यर्थी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की सभी प्रविष्टियां ठीक प्रकार से एवं सही-सही भरें। प्रविष्टियों को रिक्त छोड़ने अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। इसके लिये अभ्यर्थी स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
- (5) ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में भरी गयीं सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से ठीक न किया जाये और न ही मिटाया जाये।
- (6) ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक दो प्रतियों में होगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पत्रक की मूल प्रति अंतरीक्षक को सौंप दी जायेगी तथा द्वितीय प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे।
- (7) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये न्यूनतम दक्षता मानक 35 प्रतिशत निर्धारित है अर्थात् यदि इन श्रेणियों के अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा तथा/अथवा मुख्य परीक्षा में 35 प्रतिशत से कम अंक

प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता सूची/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक 40 प्रतिशत निर्धारित है अर्थात् यदि इन श्रेणियों के अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा तथा/अथवा मुख्य परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता सूची/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

- (8) सिविल अपील संख्या -8300/2016 संजय सिंह तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य एवं सम्बद्ध अन्य सिविल अपीलों में मान्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26/08/2020 में पारित निर्णय में अवधारित सिद्धांत के अनुपालन में इस सचिवालय में तदर्थ/संविदा के रूप में कार्यरत् समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी को चयन में वेटेज (weightage) प्रदान किया जायेगा।

सामान्य अनुदेश :-

- (1) अंतिम नियत तिथि/समय के पश्चात आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (2) अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
- (3) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में सबमिट बटन को क्लिक करना अनिवार्य है।
- (4) विधान सभा सचिवालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं दिया जा रहा है, इसलिये अभ्यर्थियों को विज्ञापन का भली-भांति एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त संतुष्ट होने पर ही कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह/पात्र हैं, आवेदन करना चाहिये।
- (5) पद के लिये वांछित सभी अर्हतायें, प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिये।
- (6) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियों (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित ही) आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या-453/79-बी-1-15-1 (क) 14-2015 दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- (7) किसी कदाचार, महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश कराने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा प्रश्नगत परीक्षा तथा आगामी परीक्षाओं से प्रतिवारित किये जाने का अधिकार विधान सभा सचिवालय को होगा।
- (8) यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष संख्या: **+919205310332**, ई-मेल: **contact@uplegisassemblyrecruitment.in** अथवा वेबसाइट **www.uplegisassemblyrecruitment.in** पर Contact us से सम्पर्क स्थापित कर कठिनाई/समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।
- (9) फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दृष्टव्य है।

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विधान सभा, उ०प्र०।


परिशिष्ट-1

The procedure relating to upload Photo and Signature:-

Guidelines for scanning photograph with signature.

- 1- Paste the Photo on any white paper as the above required dimensions. Sign in the Signature space provided. Ensure that the Signature is within the box.
- 2- Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
- 3- The image (of size 3.5cm by 4.5 cm) consisting of the photo as required to be scanned and stored in jpg, jpeg, gif, png format on computer.
- 4- The image of Signature (of size 2.5 cm X 1.5 cm) should be 10-30KB.
- 5- Ensure that the size of the scanned image should be between 20-50KB.
- 6- If the size of the file is more than 50KB then adjust the settings of the scanner such as DPI resolution, etc during the process of scanning.
- 7- The application has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine and in full, initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
- 8- The signature will be used to put on the HALL TICKET and wherever necessary, if the applicant's signature on answer script at the examination, dose not match the signature on the HALL TICKET, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature :-



(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विधान सभा, उ०प्र०।

6. रिक्त पदों का विवरण

क्र. स.	पद नाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
			अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत	अनुसूचित जाति 21 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 02 प्रतिशत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत
1	सम्पादक	01	01	0	0	0	0
2	प्रतिवेदक	04	03	01	0	0	0
3	समीक्षा अधिकारी	13	07	03	02	0	01
4	अपर निजी सचिव	02	02	0	0	0	0
5	सहायक समीक्षा अधिकारी	53	22	14	11	01	05
6	व्यवस्थापक	01	01	0	0	0	0
7	शोध एवं सन्दर्भ सहायक	01	01	0	0	0	0
8	सूचीकार	01	01	0	0	0	0
9	सुरक्षा सहायक (पुरुष)	10	05	02	02	0	01
10	सुरक्षा सहायक (महिला)	01	01	0	0	0	0
	योग	87	44	20	15	01	07

7. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है-

8. आरक्षण

उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासकीय नियमों/आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा- उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों, उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासकीय नियमों के अनुसार, उक्त वर्गों हेतु रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य कराया जायेगा।

नोट:-

1. उत्तर प्रदेश के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियों बनने पर ही आरक्षण अनुमन्य होगा।
2. ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही अनुमन्य होगा। रिट याचिका संख्या-11039/2018 विपिन कुमार मौर्य तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को पारित निर्णय के अनुपालन में राज्य

सरकार द्वारा योजित स्पेशल अपील (डी) संख्या-475/2019 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन अन्य प्रदेशों की महिला अभ्यर्थियों को भी आरक्षण अनुमन्य होगा।

3. आरक्षण लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में, इस विज्ञापन के परिशिष्ट-2 में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें तथा अपेक्षा किये जाने पर उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
4. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, प्रदान की जायेगी।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी संग्राम के आश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।
6. महिला अभ्यर्थियों के प्रकरणों में, पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
7. भूतपूर्व सैनिकों को, उनके लिये रिक्तियां उपलब्ध होने पर, केवल समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर आरक्षण अनुमन्य होगा।
8. अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा के समय अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया गया है, के समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। उक्त अभिलेख संलग्न न करने अथवा सत्यापन के समय प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

9. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें

(केवल आयु सीमा में छूट हेतु):-

आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या-22/10/1976-कार्मिक-2-85 दिनांक 30.01.1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :-

- (क) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौसेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत इस आसय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है।
- (ख) ऐसे आवेदकों को यथासमय यह लिखित अप्ण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चयन हो जाने पर वह अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी यदि उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो, वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विधान सभा, उ०प्र०।

10. वैवाहिक प्रास्थिति—

ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे जब तक की महामहिम श्री राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

11. शैक्षिक अर्हता—

इस विज्ञापन में सम्मिलित पदों का विवरण निम्न तालिका में अंकित है। उक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक उनके सम्मुख अंकित शैक्षिक अर्हता अवश्य होनी चाहिये। अभ्यर्थी उक्त अर्हता का उल्लेख अपने ऑन-लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में करें:-

क्रमांक	पद नाम	शैक्षिक अर्हतायें
1-	सम्पादक	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि, 2. सम्पादन कार्य/अनुवाद कार्य/लेखन संक्षिप्तीकरण कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव अथवा ऐसे अनुभव के साथ विधान मण्डल सचिवालय में उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष की सेवा। वरीयता—विधि की उपाधि।
2-	प्रतिवेदक	माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा हिन्दी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति तथा उक्त पदों पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0 बोर्ड अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे।
3-	समीक्षा अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई आर्हता।
4-	अपर निजी सचिव	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। 2. हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। 3. निम्नानुसार कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है:- नीलिट (पूर्व डी.ओ.इ.ए.सी.सी. सोसाइटी) द्वारा संचालित कम्प्यूटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स (सी.सी.सी.) के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा इसके समकक्ष अर्हता।
5-	सहायक समीक्षा अधिकारी	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई आर्हता। 2. नीलिट (पूर्व डी.ओ.इ.ए.सी.सी. सोसाइटी) द्वारा प्रदत्त ओ0 लेबल प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता। 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति।

		<p>प्रतिबन्ध यह है कि अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा। उक्त पद की शैक्षिक अर्हता संख्या(2) नीलिट द्वारा प्रदत्त ओ0 लेबल प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित करना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में "ओ0" लेवल की समकक्षता के सम्बन्ध में निम्न उपाधियों को मान्यता प्रदान की गयी है— (क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा। (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में डिग्री। (ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में उच्च योग्यताधारी अर्थात् ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस विषय लिया गया हो।</p>
6—	व्यवस्थापक	<p>व्यवस्थापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक विषय के रूप में हाउस कीपिंग तथा होटल मैनेजमेन्ट और कैटरिंग टेकनालाजी में स्नातक की उपाधि।</p>
7—	शोध एवं सन्दर्भ सहायक	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो एवं किसी शोध पुस्तकालय अथवा विधान मण्डल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 03 वर्ष शोध कार्य अथवा सेवा का अनुभव हो।</p>
8—	सूचीकार	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा।</p>
9—	सुरक्षा सहायक (पुरुष)	<p>1. माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. अभ्यर्थियों के लिये निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक मानक होना आवश्यक है:— ऊंचाई— 1.68 मीटर वजन— 59 किलोग्राम सीना— 86 सेन्टीमीटर (बिना फुलाये हुये) 91 सेन्टीमीटर (फुला कर) ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान किया जायेगा जिनके पास सेना, नौ सेना, वायु सेना, पुलिस, प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी. ए.सी.), प्रान्तीय रक्षक दल (पी.आर.डी.), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.), टेरिटोरियल आर्मी अथवा होमगार्ड्स का अनुभव हो।</p>
10—	सुरक्षा सहायक (महिला)	<p>1. माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. अभ्यर्थियों के लिये निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक मानक होना आवश्यक है:— ऊंचाई—(1) मैदानी क्षेत्र— 1.52 मीटर (2) पर्वतीय क्षेत्र— 1.47 मीटर वजन— 45 से 55 किलोग्राम</p>

		ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान किया जायेगा जिनके पास सेना, नौ सेना, वायु सेना, पुलिस, प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी. ए.सी.), प्रान्तीय रक्षक दल (पी.आर.डी.), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.), टेरिटोरियल आर्मी अथवा होमगार्ड्स का अनुभव हो।
--	--	---

12. वेतन—

इस विज्ञापन में सम्मिलित विभिन्न पदों का वेतन निम्नवत् है:—

क्रमांक	पद नाम	वेतन	
		पे-मैट्रिक्स लेवल	वेतन
1	सम्पादक	10	56,100—1,77,500
2	प्रतिवेदक	10	56,100—1,77,500
3	समीक्षा अधिकारी	8	47,600—1,51,100
4	अपर निजी सचिव	8	47,600—1,51,100
5	सहायक समीक्षा अधिकारी	7	44,900—1,42,400
6	व्यवस्थापक	6	35,400—1,12,400
7	शोध एवं सन्दर्भ सहायक	6	35,400—1,12,400
8	सूचीकार	5	29,200— 92,300
9	सुरक्षा सहायक (पुरुष)	3	21,700—69,100
10	सुरक्षा सहायक (महिला)	3	21,700—69,100

13. अधिमानी अर्हता—

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के प्रकरणों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान जायेगा, जिसने—

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या
- (3) किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो।

14. शारीरिक स्वस्थता—

(1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।

(2) किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर बारह सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाये जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जायेगा। प्रसूति के दिनांक से छः सप्ताह पश्चात स्वस्थता के लिये उसका पुनः परीक्षण किया जायेगा।

15.आयु सीमा-

इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिये आयु की गणना की निश्चयक तिथि 01.07.2020 है। विभिन्न पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् है:-

क्रमांक	पद नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	सम्पादक	30	40
2	प्रतिवेदक	22	40
3	समीक्षा अधिकारी	21	40
4	अपर निजी सचिव	21	40
5	सहायक समीक्षा अधिकारी	21	40
6	व्यवस्थापक	21	40
7	शोध एवं सन्दर्भ सहायक	21	40
8	सूचीकार	21	40
9	सुरक्षा सहायक (पुरुष)	21	40
10	सुरक्षा सहायक (महिला)	21	40

नोट:-

- (1) अभ्यर्थियों को दिनांक 01.07.2020 को न्यूनतम आयु से कम तथा अधिकतम आयु से अधिक का नहीं होना चाहिये।
- (2) निम्न श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी:-

वर्ग/श्रेणी	आयु सीमा में छूट (वर्षों में)
1. उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी।	05 वर्ष
2. उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी अभ्यर्थियों हेतु।	05 वर्ष
3. उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों हेतु।	05 वर्ष
4. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों हेतु।	05 वर्ष
5. उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों/कर्मचारियों हेतु।	05 वर्ष
6. उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु।	15 वर्ष
7. उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों, जिन्होंने सेना में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, को समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदों हेतु आयु में छूट अनुमत्य है किन्तु उन्हें आरक्षण देय नहीं है।	05 वर्ष
8. भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों की उपलब्धता की स्थिति में इस शर्त के साथ 03 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर शेष आयु निर्धारित आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो।	03 वर्ष

<p>9. विधान सभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर तदर्थ/संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदित पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में आयु सीमा में शिथिलता प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।</p>	<p>—</p>
---	----------

16.परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनायें:-

- 1- प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित शुल्क भी देना होगा।
- 2- जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किये जायेंगे उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के अनुक्रमांक पर ही मुख्य परीक्षा देनी होगी।
- 3- प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा की तिथियां पृथक से निर्धारित की जायेंगी जिसकी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को परमर्श दिया जाता है कि वह वेबसाइट को अवलोकित करते रहें।
- 4-इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों में से सुरक्षा सहायक (पुरुष) एवं सुरक्षा सहायक (महिला) के पद के अतिरिक्त अन्य समस्त पदों हेतु एक ही प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। सुरक्षा सहायक (पुरुष) एवं सुरक्षा सहायक (महिला) के पद हेतु प्रारम्भिक परीक्षा का प्रश्न पत्र पृथक होगा। प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। अध्यक्ष विधान सभा के निर्देशानुसार कतिपय पदों को क्लब (club) करके भी मुख्य परीक्षा का आयोजन कराया जा सकता है।
- 5-अभ्यर्थियों के शैक्षणिक तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन मुख्य परीक्षा के उपरान्त किया जायेगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 6-केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों तथा कतिपय अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों, जिन्हें आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट अनुमन्य है, के द्वारा अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाये तथा अपेक्षा किये जाने पर उसे प्रस्तुत किया जाए।

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विधान सभा, उ०प्र०।



परिशिष्ट-2

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....
निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....

जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय) पर संशोधित हुआ/संविधान(अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....
ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....
में सामान्यतया रहता है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पूरा नाम.....

मोहर.....

पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी- मजिस्ट्रेट/परगना-मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट,
यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण
अधिकारी।

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विधान सभा, उ०प्र०।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....
.....निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर..... जाति के
व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों
के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची- एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वोक्त अधिनियम, 1994
(यथासंशोधित) की अनुसूची-दो, जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण (संशोधन)) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित
किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण (संशोधन))

अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की
अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर
अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....
.....ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....
.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान.....

दिनांक.....

मोहर.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी- मजिस्ट्रेट/परगना-मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार।

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विधान सभा, उ०प्र०।

(प्रपत्र-1)
उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम-.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-.....

दिनांक.....

वित्तीय वर्ष-.....के लिये मान्य।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पति/पुत्री.....

.....ग्राम/कस्बा.....जिला.....राज्य.....

पिन कोड.....के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष.....में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8,00,000.00 (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है।

- I. 5 (पांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
 - II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
 - III. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जाति.....के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का

पासपोर्ट साइज

का अभिप्रमाणित

फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.....

(कार्यालय की मोहर सहित)

पूरा नाम.....

पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटी-मजिस्ट्रेट/परगना-मजिस्ट्रेट/

तहसीलदार।

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विधान सभा, उ०प्र०।



(प्रपत्र-2)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....ग्राम/कस्बा.....
.....पोस्ट आफिस.....थाना.....ब्लाक.....ने

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया है, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मैं.....जाति से सम्बन्ध रखत/रखती हूँ जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि।) से कुल वार्षिक आय रुपये.....
.....(शब्दों में.....) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं.....आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता /करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है:-

I. 5 (पांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया जाता है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिये मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

नोट: जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम

स्थान:.....

दिनांक:.....

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विधान सभा, उ०प्र०।

उत्तर प्रदेश के दिव्यांगो के लिये प्रमाण पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME AND ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.....

Date:.....

This is certified that

Shri./Smt./Kum.....son/wife/daughter of

Shri.....age.....sex.....identificatio

n mark(s).....is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor of cerebral palsy:

- (i) BL-Both legs affected but not arms.
- (ii) BA-Both arms affected.
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected.
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (v) OA-One arm affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (vi) BH- Stiff back and Hips (cannot sit or stoop)
- (vii) MW- Muscular Weakness and limited physical endurance.

B. Blindness of Low Vision:

- (i) B- Blind
- (ii) PB- Partially Blind

C. Hearing Impairment:

- (i) D-deaf
- (ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assess of this case is not recommended/is recommended after a period ofYear.....months.....

3. Percentage of disability in his / her case is.....percent.

4. Shri./Smt./Kum.....meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

- (i) F-can perform work by manipulating with figures. Yes/No

- | | | |
|--------|---|--------|
| (ii) | PP-can perform work by pulling and pushing . | Yes/No |
| (iii) | L- can perform work by lifting | Yes/No |
| (iv) | KC- can perform work by kneeling and couching | Yes/No |
| (v) | B- can perform work by bending | Yes/No |
| (vi) | S-can perform work by sitting | Yes/No |
| (vii) | St-can perform work by standing | Yes/No |
| (viii) | W-can perform work by walking | Yes/No |
| (ix) | SE- can perform work by seeing | Yes/No |
| (x) | H-can perform work by hearing/speaking | Yes/No |
| (xi) | RW-can perform work by reading and writing | Yes/No |

(Dr.....)

Member

Medical Board

(Dr.....)

Member

Medical Board

(Dr.....)

Chairperson

Medical Board

Countersigned by the
Medical Superintendent
/CMO/HQ.

Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विद्यालय संस्था, उ०प्र०।



उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....निवासी.....
.....ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....
.....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व
सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और
श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित).....पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (विवाहित अथवा अविवाहित)
उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)...
.....के आश्रित हैं।
हस्ताक्षर..... पूरा नाम.....
स्थान..... मुहर.....
दिनांक..... सील.....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28.11.1985

प्रमाण पत्र के फार्म 1 से 4

प्रारूप-1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम.....
राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री.....निवासी.....पूरा पता.....
.....(स्थान का नाम) में आयोजित.....(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की
प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।
उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.....स्थान प्राप्त किया।
यह प्रमाण पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन (यहां संस्था का नाम दिया जाय).....
.....में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान..... हस्ताक्षर.....
दिनांक..... नाम.....
पद.....
संस्था का नाम.....
मुहर.....

नोट: यह प्रमाण पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विधान सभा, उ०प्र०।

प्रारूप-2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम.....राज्य सरकार की
सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री.....निवासी.....पूरा पता.....
.....ने दिनांक.....से दिनांक.....तक.....
.....(स्थान का नाम) में आयोजित.....(क्रीड़ा/खेलकूद का
नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम.....आयोजित राष्ट्रीय.....
.....में उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.....
स्थान प्राप्त किया।

यह प्रमाण पत्र.....(प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
स्थान.....हस्ताक्षर.....
दिनांक.....नाम.....
.....पद.....
.....संस्था का नाम.....
.....मुहर.....

नोट: यह प्रमाण पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम.....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये
कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री.....निवासी.....
.....पूरा पता.....ने दिनांक.....से दिनांक.....
.....तक.....विश्वविद्यालय की कक्षा.....
के विद्यार्थी ने दिनांक.....से दिनांक.....तक.....
.....(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय.....(क्रीड़ा/खेलकूद का
नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.....विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके
टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थाना प्राप्त किया गयज़ं यह प्रमाण पत्र
डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल-कूद.....विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार
पर दिया गया है।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद.....
संस्था का नाम.....
मुहर.....

नोट: यह प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक शिक्षा उत्तर प्रदेश.....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री.....निवासी(पूरा पता).....में.....
.....से दिनांक.....तक.....(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की.....(क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.....स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.....स्थान प्राप्त किया।

यह प्रमाण पत्र डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद.....

संस्था का नाम.....

मुहर.....

नोट: यह प्रमाण पत्र निदेशक/या अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त या उप निदेशक डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा.....द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विद्यालय सभा, उ०प्र०।

परिशिष्ट-3

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

1. प्रारम्भिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्नपत्र होगा।
2. प्रारम्भिक परीक्षा के कुल प्राप्तांक 100 होंगे।
3. प्रारम्भिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी।

परीक्षा

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
भाग-1 सामान्य अध्ययन	50	50	120 मिनट
भाग-2 सामान्य हिन्दी	50	50	
योग	100	100	

पाठ्यक्रम

क-भाग-1 सामान्य अध्ययन

1. सामान्य विज्ञान
2. भारत का इतिहास
3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
4. भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
5. भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार
6. जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण (भारतीय परिप्रेक्ष्य में)
7. विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन
8. अद्यतन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम
9. सामान्य बौद्धिक क्षमता

भाग-2 सामान्य हिन्दी

1. विलोम 10 शब्द
2. वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 वाक्य
3. अनेक शब्दों के लिये एक शब्द 10 शब्द
4. तत्सम एवं तद्भव शब्द 10 शब्द
5. पर्यायवाची शब्द 10 शब्द

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त शक्ति
विधान सभा, छ०प्र०।

परिशिष्ट-4
मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

1.सम्पादक

1. सम्पादक के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा जिसके तीन भाग होंगे।
3. लिखित परीक्षा के कुल पूर्णांक 150 होंगे तथा प्रश्नपत्र की अवधि 120 मिनट होगी।

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
भाग-1 सामान्य अध्ययन	50	50	120 मिनट
भाग-2 सामान्य हिन्दी	50	50	
भाग-3 पदीय दायित्वों से सम्बन्धित ज्ञान	50	50	
योग	150	150	

पाठ्यक्रम

क-भाग-1 सामान्य ज्ञान

1. सामान्य विज्ञान
2. भारत का इतिहास
3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
4. भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
5. भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार
6. जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण(भारतीय परिप्रेक्ष्य में)
7. विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन
8. अद्यावधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम
9. भारत के संविधान के मुख्य प्राविधान, विशेष रूप से विधान मण्डलों का गठन एवं उनकी कार्य-प्रक्रिया
10. उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन-सहन एवं सामाजिक प्रथाएं

ख-भाग-1 सामान्य हिन्दी

1. विभिन्न प्रकार के पत्रों के प्रकार
2. अध्यादेश, विधेयक एवं अधिनियम
3. उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्य बोलियाँ
4. हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ
5. शब्द रचना, वाक्य रचना आदि
6. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ
7. हिन्दी साहित्य का इतिहास
8. शब्द भण्डार (हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी)
9. वर्तनी, अर्थबोध एवं शब्द-रूप

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विधान सभा, उ०प्र०।

ग-भाग-3 पदीय दायित्वों से सम्बन्धित ज्ञान

1. सम्पादक के कार्य, उसकी भूमिका तथा जिम्मेदारियाँ
2. सम्पादक की संकल्पना प्रक्रिया एवं महत्व
3. सम्पादकीय मूल्य तथा निष्पक्षता
4. सम्पादक के समक्ष चुनौतियाँ
5. शीर्षक तथा परिचय
6. स्टाइल बुक एवं स्टाइल शीट
7. समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, समाचार अधिकरण, रेडियों तथा टेलीविजन से सम्बन्धित सम्पादकीय ढाँचा
8. समाचार के स्रोत एवं संकलन
9. सूचना का संक्षिप्तीकरण एवं विस्तारीकरण
10. अनुवाद एवं उसकी महत्ता
11. मुख्य पृष्ठ, मध्य पृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ का खाका तैयार करना
12. अनुक्रमणिका तैयार करने के प्रकार
13. सामग्री प्रबन्धन प्रणाली
14. डाटा कलेक्शन के प्रकार
15. विषय-सूची एवं अनुक्रमणिका में अन्तर

2. प्रतिवेदक

1. प्रतिवेदक के पद पर चयन की कार्यवाही दो चरणों में की जायेगी।
2. प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का एक प्रश्नपत्र होगा।
3. द्वितीय चरण में आशुलेखन (हिन्दी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट) का आयोजन किया जायेगा जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। आशुलेखन परीक्षा सम्पादित करने हेतु एजेन्सी का चयन माननीय अध्यक्ष विधान सभा द्वारा किया जायेगा।

प्रथम चरण-लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
भाग-1 हिन्दी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता	50	50	120 मिनट
भाग-2 सामान्य ज्ञान	50	50	
भाग-3 सामान्य बुद्धि परीक्षण	50	50	
योग	150	150	

द्वितीय चरण-आशुलेखन (हिन्दी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट)

पाठ्यक्रम

भाग-1 हिन्दी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से हिन्दी भाषा के ज्ञान, समझ एवं लेखन योग्यता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। यह प्रश्नपत्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा।

भाग-2 सामान्य ज्ञान

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से उसके चारों ओर के वातावरण के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके उपयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता आकने से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। इस भाग में सम-सामयिक घटनाओं, विशेष रूप से भारत से सम्बन्धित ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों की जानकारी, वैज्ञानिक पहलुओं के ज्ञान, वन-पर्यावरण-जलवायु से सम्बन्धित प्रश्न भी पूछे जायेंगे। उक्त भाग के प्रश्नों का स्तर ऐसा होगा जैसा कि किसी इण्टरमीडिएट शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है।

भाग-3 सामान्य बुद्धि परीक्षण

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने एवं तर्क की योग्यता को मापना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे जो अनुदेशों का समझने तथा उनके सम्बन्धों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने तथा बौद्धिक क्रियाओं से सम्बन्धित हों।

3. समीक्षा अधिकारी

1. समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
प्रथम प्रश्नपत्र (सामान्य अध्ययन)	140	140	120 मिनट
द्वितीय प्रश्नपत्र (सामान्य हिन्दी)	60	60	60 मिनट
योग	200	200	180 मिनट

पाठ्यक्रम

क-प्रथम प्रश्नपत्र(सामान्य अध्ययन)

- (1) सामान्य विज्ञान
- (2) भारत का इतिहास
- (3) भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
- (4) भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
- (5) भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार
- (6) जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण(भारतीय परिप्रेक्ष्य में)
- (7) विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन
- (8) अद्यावधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम
- (9) भारत के संविधान के मुख्य प्राविधान, विशेष रूप से विधान मण्डलों का गठन एवं उनकी कार्य-प्रक्रिया
- (10) उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन-सहन एवं सामाजिक प्रथाएं
- (11) सामान्य बौद्धिक क्षमता

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विधान सभा, उ०प्र०।

ख-द्वितीय प्रश्नपत्र(सामान्य हिन्दी)

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| (1) विलोम शब्द | (10 शब्द) |
| (2) वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि | (10 शब्द) |
| (3) अनेक शब्दों के लिये एक शब्द | (10 शब्द) |
| (4) तत्सम एवं तद्भव शब्द | (10 शब्द) |
| (5) विशेष्य एवं विशेषण | (10 शब्द) |
| (6) पर्यायवाची शब्द | (10 शब्द) |

4.अपर निजी सचिव

1. अपर निजी सचिव के पद पर चयन की कार्यवाही दो चरणों में की जायेगी।
2. प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का एक प्रश्नपत्र होगा।
3. द्वितीय चरण में आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा का आयोजन किया जायेगा जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा सम्पादित करने हेतु एजेन्सी का चयन माननीय अध्यक्ष जी द्वारा किया जायेगा।

प्रथम चरण-लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
भाग-1 हिन्दी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता	50	50	120 मिनट
भाग-2 सामान्य ज्ञान	50	50	
भाग-3 सामान्य बुद्धि परीक्षण	50	50	
योग	150	150	

द्वितीय चरण-आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा

पाठ्यक्रम

भाग-1 हिन्दी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से हिन्दी भाषा के ज्ञान, समझ एवं लेखन योग्यता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। यह प्रश्नपत्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा।

भाग-2 सामान्य ज्ञान

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से उसके चारों ओर के वातावरण के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके उपयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता आकने से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। इस भाग में सम-सामयिक घटनाओं, विशेष रूप से भारत से सम्बन्धित ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों की जानकारी, वैज्ञानिक पहलूओं के ज्ञान, वन-पर्यावरण-जलवायु से सम्बन्धित प्रश्न भी पूछे जायेंगे। उक्त भाग के प्रश्नों का स्तर ऐसा होगा जैसाकि किसी इण्टरमीडिएट शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है।

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विद्यालय सभा, उ०प्र०।

भाग-3 सामान्य बुद्धि परीक्षण

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने एवं तर्क की योग्यता को मापना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे जो अनुदेशों को समझने तथा उनके सम्बन्धों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने तथा बौद्धिक क्रियाओं से सम्बन्धित हों।

5. सहायक समीक्षा अधिकारी

1. सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में निर्धारित गति प्रदर्शित करने वाले अभ्यर्थियों से किया जायेगा।

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
प्रथम प्रश्नपत्र (सामान्य अध्ययन)	140	140	120 मिनट
द्वितीय प्रश्नपत्र (सामान्य हिन्दी)	60	60	60 मिनट
योग	200	200	180 मिनट

पाठ्यक्रम

क-प्रथम प्रश्नपत्र(सामान्य अध्ययन)

- (1) सामान्य विज्ञान
- (2) भारत का इतिहास
- (3) भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
- (4) भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
- (5) भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार
- (6) जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण(भारतीय परिप्रेक्ष्य में)
- (7) विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन
- (8) अद्यावधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम
- (9) भारत के संविधान के मुख्य प्राविधान, विशेष रूप से विधान मण्डलों का गठन एवं उनकी कार्य-प्रक्रिया
- (10) उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन-सहन एवं सामाजिक प्रथाएं
- (11) सामान्य बौद्धिक क्षमता

ख-द्वितीय प्रश्नपत्र(सामान्य हिन्दी)

- (1) विलोम शब्द (10 शब्द)
- (2) वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि (10 शब्द)
- (3) अनेक शब्दों के लिये एक शब्द (10 शब्द)
- (4) तत्सम एवं तद्भव शब्द (10 शब्द)
- (5) विशेष्य एवं विशेषण (10 शब्द)
- (6) पर्यायवाची शब्द (10 शब्द)

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त रुचि
विधान सभा, उ०प्र०।

6. व्यवस्थापक

1— व्यवस्थापक के पद पर चयन वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा, जो 100 अंको की होगी, के आधार पर किया जायेगा।

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि
भाग-1 सामान्य हिन्दी	30	30	01 घंटा 30 मिनट
भाग-2 सामान्य ज्ञान	30	30	
भाग-3 पद के कार्यों/दायित्वों से सम्बन्धित प्रश्न	40	40	

पाठ्यक्रम

भाग-1 सामान्य हिन्दी

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से हिन्दी भाषा के ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता सम्बन्धी प्रश्न पूछे जायेंगे साथ ही साथ वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तत्सम एवं तद्भव, अनेक शब्दों के लिये एक शब्द, विशेष्य एवं विशेषण एवं पर्यायवाची शब्दों से सम्बन्धित प्रश्न भी होंगे।

भाग-2 सामान्य ज्ञान

1. 'भारत का संविधान' का सम्यक् ज्ञान।
2. विभिन्न प्रदेशों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश विधान परिषद एवं विधान सभा की कार्य प्रणाली का विशद ज्ञान।
3. सामान्य विज्ञान,
4. भारत का इतिहास, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
5. भारत की अर्थ व्यवस्था, समाज एवं संस्कृति।
6. विश्व भूगोल, विशेष रूप से भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन।
7. महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम।
8. सामान्य बौद्धिक क्षमता।
9. उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार एवं सामाजिक प्रथाएं।

भाग-3 पद के कार्यों/दायित्वों से सम्बन्धित प्रश्न

1. Importance of housekeeping department.
2. Organization chart and functions of housekeeping.
3. Personal grooming and etiquette.
4. Cleaning cleaning material and equipment.
5. Laundry in house keeping unit.
6. Requirments, types, maintenance and distribution of linen.
7. Personal hygiene and clothing.
8. Collection and disposal of wastes.
9. Elemens and principles of Art.

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विधान सभा, उ०प्र०।

10. Colour and its use in different rooms.
11. Space organization furniture, furnishing, accessories and lighting.
12. Flower arrangement, floor decoration and indoor plants.
13. Maintenance of premises
 - Plumbing
 - Electrical
14. Pest control and eradication.
15. Houskeeping: The National Institute of Open Schooling (NIOS)
16. Environmental hygiene and sanitation.
17. Record keeping.

7. शोध एवं सन्दर्भ सहायक

(1) शोध सहायक के पद पर चयन वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा, जो 100 अंको की होगी, के आधार पर किया जायेगा।

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि
भाग-1 सामान्य हिन्दी	30	30	01 घंटा 30 मिनट
भाग-2 सामान्य ज्ञान	30	30	
भाग-3 पद के कार्यों/दायित्वों से सम्बन्धित प्रश्न	40	40	

पाठ्यक्रम

भाग-1 सामान्य हिन्दी

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से हिन्दी भाषा के ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता सम्बन्धी प्रश्न पूछे जायेंगे साथ ही साथ वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तत्सम एवं तद्भव, अनेक शब्दों के लिये एक शब्द, विशेष्य एवं विशेषण एवं पर्यायवाची शब्दों से सम्बन्धित प्रश्न भी होंगे।

भाग-2 सामान्य ज्ञान

1. 'भारत का संविधान' का सम्यक् ज्ञान।
2. विभिन्न प्रदेशों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश विधान परिषद एवं विधान सभा की कार्य प्रणाली का विशद ज्ञान।
3. सामान्य विज्ञान,
4. भारत का इतिहास, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
5. भारत की अर्थ व्यवस्था, समाज एवं संस्कृति।

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त रुचिय
विधान सभा, उ०प्र०।

Handwritten signature

6. विश्व भूगोल, विशेष रूप से भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन।
7. महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम।
8. सामान्य बौद्धिक क्षमता।
9. उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार एवं सामाजिक प्रथाएं

भाग-3 पद के कार्यों/दायित्वों से सम्बन्धित प्रश्न

1. सामाजिक अनुसंधान
2. सामाजिक सर्वेक्षण
3. अनुसंधान समस्या, चयन एवं पहचान
4. अनुसंधान प्ररचना
5. प्रतिदर्शन/निदर्शन (सम्भावित प्रतिदर्शन एवं असम्भावित प्रतिदर्शन)
6. तथ्य संकलन के श्रोत
7. तथ्य संकलन के उपकरण
8. तथ्य संकलन की विधियां
9. तथ्य प्रक्रमण
10. विश्लेषण एवं निर्वचन/आख्या
11. सांख्यिकी

8. सूचीकार

(1) सूचीकार के पद पर चयन वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा, जो 100 अंको की होगी, के आधार पर किया जायेगा।

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि
भाग-1 सामान्य हिन्दी	30	30	01 घंटा 30 मिनट
भाग-2 सामान्य ज्ञान	30	30	
भाग-3 पद के कार्यों/दायित्वों से सम्बन्धित प्रश्न	40	40	

पाठ्यक्रम

भाग-1 सामान्य हिन्दी

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से हिन्दी भाषा के ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता सम्बन्धी प्रश्न पूछे जायेंगे साथ ही साथ वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तत्सम एवं तद्भव, अनेक शब्दों के लिये एक शब्द, विशेष्य एवं विशेषण एवं पर्यायवाची शब्दों से सम्बन्धित प्रश्न भी होंगे।

भाग-2 सामान्य ज्ञान

1. 'भारत का संविधान' का सम्यक् ज्ञान।
2. विभिन्न प्रदेशों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश विधान परिषद एवं विधान सभा की कार्य प्रणाली का विशद ज्ञान।
3. सामान्य विज्ञान,

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विधान सभा, उ०प्र०।

4. भारत का इतिहास, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
5. भारत की अर्थ व्यवस्था, समाज एवं संस्कृति।
6. विश्व भूगोल, विशेष रूप से भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन।
7. महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम।
8. सामान्य बौद्धिक क्षमता।
9. उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार एवं सामाजिक प्रथाएं।

भाग-3 पद के कार्यों/दायित्वों से सम्बन्धित प्रश्न

1. Fundamental concepts and Historical Developments Library Catalogue: Definition, Objective, Purposes History and Development of Library Catalogue Codes Physical Forms of Catalogue Types of Catalogues
2. Types of Catalogues Entries kinds of Entries Date Elements in Different Types of Entries Filling of Entries in Classified and Alphabetical Catalogue
3. Choice and Rendering of Headings Personal Authors: Western and Indic Names Corporate Authors Pseudonymous, Anonymous Works and Uniform Titels Non- Print Resources
4. Subject Cataloguing Subject Cataloguing: Concept, Purpose and Problems Chain Indexing Subject Headings Lists: LCSH, SLSH
5. Trends in Library Cataloguing Centralized and Cooperative Cataloguing Bibliographic Standards: ISBD, MARC, CCF, etc. ISBN and ISSN

9. सुरक्षा सहायक (पुरुष) एवं सुरक्षा सहायक (महिला)

1. सुरक्षा सहायक (पुरुष) एवं सुरक्षा सहायक (महिला) के पद पर चयन वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। यह परीक्षा इण्टरमीडिएट स्तर के पाठ्यक्रम के आधार पर होगी जिसका विवरण नीचे दिया गया है।
2. सुरक्षा सहायक (पुरुष) एवं सुरक्षा सहायक (महिला) के पद पर अन्तिम चयन, शारीरिक मापदण्डों की पूर्ति करने वाले एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, (जो अर्हकारी प्रकृति की होगी) जैसी की मा0 अध्यक्ष जी द्वारा निर्धारित की जाये, उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से किया जायेगा।

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
भाग-1 हिन्दी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता	50	50	120 मिनट
भाग-2 सामान्य ज्ञान	50	50	
भाग-3 सामान्य बुद्धि परीक्षण	50	50	
योग	150	150	

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विद्यालय सभा, उ०प्र०।

(Handwritten signature)

पाठ्यक्रम (इण्टरमीडिएट स्तर)

भाग-1 हिन्दी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से हिन्दी भाषा के ज्ञान, समझ एवं लेखन योग्यता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। यह प्रश्नपत्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा।

भाग-2 सामान्य ज्ञान

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से उसके चारों ओर के वातावरण के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके उपयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता आकने से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। इस भाग में सम-सामयिक घटनाओं, विशेष रूप से भारत से सम्बन्धित ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों की जानकारी, वैज्ञानिक पहलुओं के ज्ञान, वन-पर्यावरण-जलवायु से सम्बन्धित प्रश्न भी पूछे जायेंगे। उक्त भाग के प्रश्नों का स्तर ऐसा होगा जैसा कि किसी इण्टरमीडिएट शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है।

भाग-3 सामान्य बुद्धि परीक्षण

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने एवं तर्क की योग्यता को मापना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे जो अनुदेशों का समझने तथा उनके सम्बन्धों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने तथा बौद्धिक क्रियाओं से सम्बन्धित हों।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विद्यालय सभा, उ०प्र०।
(नरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी